भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 932
दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए

भारत में दत्तक ग्रहण एजेंसियां

932. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले :
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा :
श्री तेजस्वी सूर्या :
श्री बी. वाई. राघवेन्द्र :
श्री प्रताप सिम्हा :
श्री वाई. देवेन्द्रप्पा :
डॉ. उमेश जी. जाधव :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में विशेषकर कर्नाटक में विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण एजेंसियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) भारत में अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ग) गत पाच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विदेशियों द्वारा कितने भारतीय बच्चों को गोद लिया गया है;
(घ) क्या सरकार का लक्ष्य स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को और सुदृढ़ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान विशेषकर वैसे बच्चों जिनके माता-पिता अथवा माता या पिता की वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है, को अनधिकृत रूप से गोद लिए जाने की संख्या में वृद्धि के बारे में अवगत है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले को सुलझाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और
(च) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को अनधिकृत रूप से गोद लेने के बारे में चेतावनी या परामर्श जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : बाल दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के अनुसार, कर्नाटक सहित भारत में कार्यशील विशिष्टीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है। कर्नाटक में 31 विशिष्टीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियां हैं।

(ख) : भारत में कोई अधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण एजेंसियां (एएफएफए) नहीं हैं।

(ग) : पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय बच्चों के विदेशी दत्तकग्रहणों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	भारतीय बच्चों के विदेशी दत्तकग्रहण
2016-2017	578
2017-2018	651
2018-2019	653
2019-2020	394
2020-2021	417

स्रोत : केयरिंग्स

(घ) : मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ किशोर न्याय(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर समीक्षा करता है।

(ड.) और (च) : राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग(एनसीपीसीआर) ने सूचित किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान 36 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें बच्चों के गैर-कानूनी दत्तकग्रहण के आरोप लगाए गए हैं। आयोग ने बालक अधिकार संरक्षण आयोग(सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(जे) के तहत इन शिकायतों का संज्ञान लिया है और संबंधित प्राधिकारियों से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। बच्चों का दत्तकग्रहण बाल दत्तकग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली(केयरिंग्स) के माध्यम से होता है, जो किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा हिंदू दत्तकग्रहण एवं अनुरक्षण अधिनियम(एचएएमए) 1956 के तहत वेब आधारित एप्लीकेशन है। एचएएमए के तहत दत्तकग्रहण केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता है।

कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों की देखरेख एवं सुरक्षा पर ध्यान देने तथा देश में कानूनी दत्तकग्रहण का संवर्धन सहित दत्तकग्रहण की प्रक्रिया की सरलता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग(एनसीपीसीआर) और कारा सहित सरकार द्वारा विभिन्न एडवाइजरी जारी की गई हैं।

****

अनुलग्नक-I

'भारत में दत्तक ग्रहण एजेंसियां' विषय में श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले, श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा, श्री तेजस्वी सूर्या, श्री बी. वाई. राघवेन्द्र, श्री प्रताप सिम्हा, श्री वाई. देवेन्द्रप्पा और डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 932 के भाग(क) के उत्तर से संदर्भित अनुलग्नक

भारत में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशिष्टीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियां(एसएए)

क्र.सं.	राज्य	एसएए की संख्या
1	अण्डमान और निकोबार	1
2	आंध्र प्रदेश	14
3	अरुणाचल प्रदेश	2
4	असम	20
5	बिहार	25
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ	13
8	दादर और नगर हवेली	1
9	दिल्ली	12
10	गोवा	2
11	गुजरात	16
12	हरियाणा	8
13	हिमाचल प्रदेश	1
14	झारखंड	12
15	कर्नाटक	31
16	केरल	17
17	मध्य प्रदेश	31
18	महाराष्ट्र	56
19	मणिपुर	9
20	मेघालय	6
21	मिजोरम	7
22	नागालैंड	4
23	ओडिशा	32
24	पांडिचेरी	3
25	पंजाब	8
26	राजस्थान	35
27	सिक्किम	3
28	तमिलनाडु	22
29	तेलंगाना	12
30	त्रिपुरा	9
31	उत्तर प्रदेश	23
32	उत्तराखंड	7
33	पश्चिम बंगाल	24

*****